

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3(54) शिक्षा-4/2002 पार्ट

जयपुर,

दिनांक: 22.08.2017

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
4. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
8. कुलसचिव, धर्ममान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
9. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
10. कुलसचिव, प.वी.नन्दा विश्वविद्यालय, सीकर ।
11. कुलसचिव, महाराजा सुरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर ।
12. कुलसचिव, राजर्षि भवृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर ।
13. कुलसचिव, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा ।
14. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर ।
15. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा ।

विषय:- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017-18 के संबंध में ।

संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.08.2017
महोदय,

एसबीसीडब्ल्यू नं. 10072/2017 कुमारी कामला खोला बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय को जोधपुर मुख्यपीठ के स्थगन आवेदन दिनांक 21.08.2017 की अनुपालना में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2017 के बिन्दु संख्या 07 में आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण के प्रभाव एवं कियान्विति को माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन स्थगित किया जाता है ।

(नाथूलाल सुमन)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2017/532 दिनांक 22 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग जयपुर ।
2. निजी सचिव- आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. बन्दना चक्रवर्ती)
संयुक्त निदेशक (अकादमी)